न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– साधुराम जाट (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
26/14	03.02.2014	04.09.2018

उनवान

1 बनवारी
2 पतराम पुत्रान मोटला जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: वादीगण

बनाम

1 बंशी पुत्र भूरिया
2 नंदलाल
3 तेजसिंह पुत्रान कालिया
4 कबूल
5 संजू पुत्रान शेरसिंह
6 लीली पुत्री शेरसिंह
7 कंवरसिंह
8 अजीत पुत्रान जयसिंह
9 बिमला
10 कल्नी पुत्रीयान जयसिंह
11 महिपाल
12 सत्यवीर पुत्रान सूरजभान
13 राजबाई पुत्री सूरजभान
14 मेवा
15 चन्द्रकला
16 कल्नी पुत्रीयान रतीराम जातियान अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
17 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

उपस्थितिः–
1. श्री रणवीर सिंह यादव वकील–वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :– 04.09.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल आराजी ख0न0 150/0.10, 151/0.10, 154/0.10, 155/0.10 साबिक ख0न0 150 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से एवं ख0न0 153/0.08 साबिक ख0न0 144 से पैमूद किये गये है। आराजी मुतनाजा में से वादीगण के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 16 के पिता व दादा कालिया पुत्र रामनारायण से दिनांक

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

23.01.1973 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के उनके कब्जेकाश्त खातेदारी का 1/4 भाग बएवज प्रतिफल बाकब्जा खरीद कर लिया था। उक्त आराजी का 1/4 भाग यानि कुल रकबा 8 बिस्वा पर वक्त खरीद से ही मौके पर कब्जा लिया और मौके पर आज भी वादीगण काबिज है। साबिक ख0न0 144 व हाल ख0न0 153 गैर मुमकिन चाह में से बंशी ने अपना हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.01.1973 को वादीगण के पिता को बेचान कर दिया। वादीगण के पिता ने वक्त खरीद आराजी पर कब्जा ले लिया और उनकी फौतगी पर जर्ये विरासत अधिकारों का हस्तांतरण होता आ रहा है। वादीगण बहिस्सा खातेदार काबिज है एवं ख0न0 154 विभाजन में दीगर व्यक्ति के हिस्से में गया। इसलिए उक्त ख0न0 154 को वाद में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। बैयनामा का इंतकाल दर्ज कराने के लिए हल्का पटवारी के पास प्रस्तुत किया एवं इंतकाल दर्ज कराने बाबत मिलते रहे। अंततः पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज कर दिया जाना बताकर बैयनामा मिन वादीगण के पिता को लौटा दिया। वादीगण के पिता ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति थे। कहे अनुसार इंतकाल दर्ज होना मान लिया। तब से आज तक रिकार्ड देखने की आवश्यकता नहीं होने के कारण रिकार्ड में विक्रेता का ही नाम रहने की जानकारी नहीं मिल सकी। आराजी मुतनाजा में वादीगण का 1/4 भाग खरीदशुदा है एवं साबिक ख0न0 144 से पैमूद हाल ख0न0 153 गैर मुमकिन चाह में से बंशी के हिस्से तक खातेदार काश्तकार की घोषणा जर्ये क्रय अधिकार हासिल है। इस प्रकार वादीगण आराजी मुतनाजा में से 6 बिस्वा एवं गैर मुमकिन चाह साबिक ख0न0 144 में से 2 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि हाल ख0न0 150/0.10, 151/0.10, 155/0.10 वाके ग्राम मंढा में से मिनवादीगण को 6 बिस्वा का एवं ख0न0 153 वाके ग्राम मंढा में बंशी के हिस्से का मिनवादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 का नाम वादीगण के हक व हिस्से तक कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बनवारी पीडब्ल्यू–1, पतराम पीडब्ल्यू–2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2068–71 की तातीब प्रदर्श–1, बैयनामें असल किता 2 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2052 किता 2 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2056 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2014 प्रदर्श–6 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिमनों को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक ख0न0 150 मिन जिसके हाल ख0न0 150/0.10, 151/0.10, 154/0.10, 155/0.10 में से मुताबिक बैयनामा दिनांक 22.01.1973 वादीगण के पिता मोटला पुत्र कान्हा ने 6 बिस्वा आराजी बएवज प्रतिफल खरीद की थी। वक्त खरीद से आज तक पहले वादीगण के पिता मोटला एवं उनकी फौतगी उपरांत वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण के पिता ग्रामीण व अनपढ

Scanned by CamScanner

व्यक्ति होने की स्थिति में पटवारी द्वारा बिना इंतकाल दर्ज किये बयनामा असल बयनामा कर दिये जाने का कथन करते हुए लौटाये जाने की स्थिति में अपने नाम रिकार्ड दर्ज होना मानकर एवं राजस्व रिकार्ड को देखने की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होना एवं अपने वादपत्र की ताईद में प्रस्तुत प्रदर्श 1 लगायत 6 प्रस्तुत कर दिये जाने का निवेदन करते हुए एवं मुताबिक दिनांक 22.01.1973 के किता 2 बयनामें के आधार पर हाल ख0न0 154 विभाजन में दीगर व्यक्ति के हिस्से में चले जाने की स्थिति में हाल ख0न0 150, 151, 155 वाके ग्राम मंढा में से 6 बिस्वा रकबा यानि 0.08 है0 की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण के नाम को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं साबिक ख0न0 144 से पैमूद हाल ख0न0 153 वाके ग्राम मंढा में से बंशी पुत्र भूरिया के नाम हो रहे अंकनं को हजफ कर बंशी के हिस्सा का मिनवादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुने जाने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि वादीगण के पिता ने जर्ये बयनामा दिनांक 22.01.1973 के साबिक ख0न0 144 में से बंशी पुत्र भूरिया का हिस्सा रकबा 2 बिस्वा खरीद किया था लेकिन साबिक ख0न0 144 के बाबत ना तो कोई साबिक रिकार्ड/जमाबंदीयात ही पेश किये और ना ही हाल राजस्व रिकार्ड ही पेश किया एवं किसी भी प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य से ही साबित कर पाये है एवं साबिक आराजी ख0न0 150 मिन में से जर्ये बयनामा दिनांक 22.01.1973 रकबा 6 बिस्वा खरीद कर हाल तक काबिज काश्त रहे है एवं साबिक ख0न0 150 से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0न0 150/0.10, 151/0.10, 154/0.10, 155/0.10 होना स्पष्ट साबित है तथा मुताबिक वादपत्र ख0न0 154 बंटवारे अनुसार दीगर व्यक्ति के हिस्से आना तथा शेष ख0न0 150, 151, 155 में से वादीगण द्वारा प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजात से वादीगण के वाद पत्र को यह न्यायालय आंशिक स्वीकार योग्य पाता है।

–: आदेश :–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख0न0 153 वाके ग्राम मंढा के बाबत सुसंगत दस्तावेजात से वाद को साबित नहीं कर पाने की स्थिति में हाल ख0न0 153 के बाबत का वाद वादीगण खारिज किया जाता है एवं हाल आराजी ख0न0 150, 151, 155 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर के बाबत का वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है एवं आराजी ख0न0 150/0.10 है0 में से 0.02 है0, 151/0.10 में से 0.03 है0 एवं 155/0.10 में से 0.03 है0 कुल किता 3 में से कुल रकबा 0.08 है0 की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उनके स्थान पर उक्तानुसार रकबा 0.08 है0 के बाबत वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

04/9/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– साधुराम जाट (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
26/14	03.02.2014	04.09.2018

उनवान

1 बनवारी
2 पतराम पुत्रान मोटला जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: वादीगण

बनाम

1 बंशी पुत्र भूरिया
2 नंदलाल
3 तेजसिंह पुत्रान कालिया
4 कबूल
5 संजू पुत्रान शेरसिंह
6 लीली पुत्री शेरसिंह
7 कंवरसिंह
8 अजीत पुत्रान जयसिंह
9 बिमला
10 कल्ली पुत्रीयान जयसिंह
11 महिपाल
12 सत्यवीर पुत्रान सूरजभान
13 राजबाई पुत्री सूरजभान
14 मेवा
15 चन्द्रकला
16 कल्ली पुत्रीयान रतीराम जातियान अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
17 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

.....

–: पर्चा डिक्री :–

दिनांक :– 04.09.2018

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रणवीर सिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.09.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और आंशिक डिक्री दी जाती है कि :–

आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख0न0 153 वाके ग्राम मंढा के बाबत सुसंगत दस्तावेजात से वाद को साबित नहीं कर पाने की स्थिति में हाल ख0न0 153 के बाबत का वाद वादीगण खारिज किया जाता है एवं हाल आराजी ख0न0 150, 151, 155 वाके ग्राम

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

मंढा तहसील मुण्डावर के बाबत का वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है एवं आराजी ख0न0 150/0.10 है0 में से 0.02 है0, 151/0.10 में से 0.03 है0 एवं 155/0.10 में से 0.03 है0 कुल किता 3 में से कुल रकबा 0.08 है0 की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उनके स्थान पर उक्तानुसार रकबा 0.08 है0 के बाबत वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 04.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

04/9/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner